14.41 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Early completion of Irrigation Projects in vidisha (Madhya Pradesh).

श्री प्रतापभानु शर्मा (विदिशा) : विदिशा, रायसेन संसदीय क्षेत्र की कई लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं पिछले दो ढ़ाई वर्षों से अधूरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत वन विभाग को डूब में आने वाली भूमि की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। कई स्वीकृत सिंचाइ योजनाओं का कार्य इसलिए प्रारंभ नहीं किया जा सका है कि उनमें केवल 20-25 हैक्टर वन भूमि डूब में आ रही है और इन सिंचाई परियोजनाओं को आज दिनांक तक वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है जिसके कारण हजारों लघु एवं सीमान्त कृषक इन सिंचाई सुविधाओं से वंचित रह गए हैं तथा राष्ट्रीय कृषि उत्पादन का नुकसान भी हो रहा है। अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि—

1. जिन विकासखंडों में सिंचाई 7 प्रतिशत से कम है वहां की सर्वेक्षित एवं स्वीकृत सभी सिंचाई योजनाओं का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए।

2. और जिन योजनाओं का कार्य केन्द्रीय सरकार एवं वन विभाग की अनुमति के लिए रुका है उन सभी प्रकरणों का निपटारा केन्द्र और राज्य शासन के वन तथा सिंचाई विभाग अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा तुरन्त स्थल निरीक्षण कर स्वीकृति प्रदान कर किया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि उक्त कार्यवाही करने से इन योजनाओं के निर्माण कार्य में गति आएगी।

(ii) Demand for Financial Assistance to the desert region equal to that of hilly areas.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : केन्द्र सरकार ने देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए जो अभिरुचि दिखानी चाहिए नहीं दिखाई जिसके फलस्वरूप ये देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में हैं।

योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्र के लिए योजना में अलग से अध्याय कायम कर पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 175 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 560 करोड़ रुपया कर दिया। केन्द्र से विशेष सहायता के अंतर्गत उक्त राशि निर्धारित कर केन्द्र से 90 (नब्बे) प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर सन् 1977-78 में मरू-विकास कार्यक्रम चालू किया जो केन्द्रीय संचालित योजना की तरह चला। केन्द्र सरकार सारी राशि अनुदान में देती थी परन्तु 1.4.79 से उक्त योजना को परिवर्तित कर आधी राशि केन्द्र सरकार से और आधी राशि राज्यों की ओर से देने का निर्णय लिया जिससे रेगिस्तानी क्षेत्रों पर बड़ा कुठाराघात हुआ।

केन्द्र सरकार ने उक्त मरू क्षेत्र के जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से पहाड़ी क्षेत्र से बड़ा है और जनसंख्या के आधार पर आधा है। केन्द्र सरकार ने बहुत कम राशि 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो उक्त क्षेत्र की जनता के प्रति घोर उपेक्षा का सूचक है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य, संचार, विद्युत, वन एवं कृषि विकास की दृष्टि से रेगिस्तानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, यू० पी० आदि से बहुत ही पीछे है।